न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र / 03 / 2020

राजस्थान सरकार जरिये रामस्वरूप चौधरी प्रवर्तन अधिकारी, भरतपुर।

......प्रार्थी

बनाम

रूपसिंह व्यवस्थापक अन्नपूर्णा सहकारी समिति अजान उचित मूल्य दुकानदार एफपीएस कोड 11670 ग्राम पंचायत अजान तहसील कुम्हेर ।

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976

निर्णय **दिनांक 06.01.2021**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट विरुद्व अप्रार्थीगण पेश किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.04.2020 को रूपसिंह व्यवस्थापक अन्नपूर्णा सहकारी समिति अजान उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत अजान तहसील कुम्हेर की मौके पर जांच की गई। दुकान में मूल दुकान की पोस मशीन संख्या 11670 तथा इसी ग्राम पंचायत की अटैच दुकान पोस मशीन संख्या 13020 तथा ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट के आधार पर दुकान में भौतिक रूप से स्टॉक 15 किलोग्राम गेंहूँ होना चाहिये था, लेकिन मौके पर दुकान में सात कट्टे प्रति कट्टा गेंहूँ का वजन 50 किलोग्राम मात्रा के हिसाब से 350 किलोग्राम गेंहूँ पाया गया, जो 335 किलोग्राम गेंहूँ स्टॉक में अधिक था। उक्त गेंहूँ को जब्त सरकार किया जाकर श्री अर्जेन्ट कुमार उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत अर्भोरा की सुपुर्दगी में दिया गया। डीलर ने उक्त 335 किग्रा गेंहूँ अवैध तरीके से कालाबाजारी की मंशा से उपभोक्ताओं से बचाया हैं। डीलर का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के प्रावधानों तथा इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 सी व 18 का स्पष्ट उल्लंघन हैं। अतः जब्त सरकार किये गये 335 किलोग्राम गेंहूँ को राजसात किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी [illegible]टिस अन्तर्गत धारा 6 (बी) ईसी एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी जरिये [illegible] हुआ और अपना जवाब पेश किया, जो शामिल मिसिल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Natmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र पर योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया है कि वक्त निरीक्षण डीलर की मूल एवं अटैचमेन्ट की पोस मशीन में 15 किलोग्राम गेंहूँ होना पाया गया, जबकि भौतिक सत्यापन करने पर डीलर की दुकान में 350 किलोग्राम गेंहूँ उपलब्ध मिला, जो वांछित स्टॉक से 335 किलोग्राम अधिक था, जिसे जब्त किया गया। डीलर के पास 335 किलोग्राम गेंहूँ अधिक पाया गया है, जिसे डीलर ने उपभोक्ताओं से बचाकर उसकी कालाबाजारी में लिप्त होने की मंशा को प्रकट करता हैं। पैरोकार रसद द्वारा उक्त गेंहूँ को राजसात किये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को नकारते हुये अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी के गोदाम पर जब्त 335 किलोग्राम गेंहूँ मिड डे मील का गेंहूँ है, जो राजकीय वीरेन्द्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय अजान को आवंटित हुआ था। लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद रहने के कारण राज्य सरकार द्वारा विद्यालय को आवंटित मिड डे मील का खाद्यान्न गरीब परिवारों को उपलब्ध कराने के आदेश होने से आवंटित खाद्यान्न (गेंहूँ व चावल) डीलर के गोदाम में रखा गया था। गोदाम में रखे हुये खाद्यान्नों में से चावल का आवंटन तो सम्बंधित परिवारों को किया जा चुका था, किन्तु गेंहूँ का आवंटन होना शेष था। डीलर ने इस बाबत् निरीक्षण दल को वक्त जांच निवेदन भी किया गया था, किन्तु जांचदल द्वारा डीलर के कथनों पर कोई गौर नही किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उक्त मिड डे मील के गेंहूँ को वापिस चाहा गया है। डीलर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नही किया गया हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन कर पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। डीलर का यह कथन कि लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद रहने के कारण विद्यालय को आवंटित खाद्यान्न राज्य सरकार के आदेशानुसार डीलर के गोदाम में रखने के आदेश थे। अप्रार्थी डीलर के गोदाम में रखे खाद्यान्न में से चावल का आवंटन तो सम्बन्धित परिवारों को हो गया था, किन्तु गेंहूँ का आवंटन होना बकाया था। दौराने जांच जब्त किया गया गेंहूँ मिड डे मील का है, जिसे सम्बन्धित विद्यालय को लौटाया जाना है । डीलर के कथन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 अजान के पत्रांक 481 दिनांक 10.07.2020 से भी होती है, जिसके द्वारा प्रधानाचार्य ने डीलर से गेंहूँ उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि जब्त किया गेंहूँ मिड डे मील का ही है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट रिज किये जाने योग्य पाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:55 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

.....3

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट खारिज किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि जब्त शुदा 335 किलोग्राम गेंहूँ सुपुर्दगार से अपीलान्ट को वापिस दिलाया जावे एवं अपीलान्ट से उक्त गेंहूँ को सम्बन्धित विद्यालय को अपनी देख रेख में हस्तांतरित कराया जावे।

निर्णय आज दि0 06.01.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:55 IST
Reason: SelfAttested